न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/14/2020	2020/00016	11.02.2020	09.04.2024

1. दीनदयाल पुत्र मंगलराम, जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी बाढ ढिगावडा, तहसील राजगढ, जिला अलवर।
2. बाबूलाल पुत्र मंगलराम, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बाढ ढिगावडा, तहसील राजगढ, जिला अलवर।
3. गोपाल पुत्र मंगलराम, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बाढ ढिगावडा, तहसील राजगढ, जिला अलवर

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ, तहसील राजगढ, जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 26.09.2019 तहसीलदार राजगढ।

उपस्थितः—

01. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल —वकील अपीलाण्ट्स

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 26.09.2019 जिसके द्वारा ग्राम बाढ ढिगावडा की आराजी खसरा न0 178 रकबा 0.04 है0, 179 रकबा 0.02 है0 किस्म चारागाह भूमि, आराजी खसरा न0 179 में से 616 वर्गफुट रकबे पर पक्की 8 दुकान व आवास मकान तथा खसरा न. 179 रकबा 616 वर्गफुट 5 पुख्ता दुकान व आवासीय मकान से बेदखल करने तथा पक्की दुकान एवं आवास को गिराने के आदेश दिये गये लगान 3/— रूपये का 59 गुणा की शास्ति 250/— रूपया आरोपित की गई—बमुराद उपरोक्त निर्णय तहत अदालत व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान वकील अपीलान्ट्स श्री उमाशंकर खण्डेलवाल ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आलोच्य आदेश अपीलाण्टान की गैरमाजूदगी व गैरजानकारी में पारित किया गया है जिसकी जानकारी अपीलान्टान को पूर्व में नहीं थी। इस कारण अपील समयावधि में पेश नहीं की जा सकी। तहत अदालत द्वारा अपीलाण्टान को पत्रावली नही मिलने की बात कहकर प्रकरण की तारीखें दी जाती रही। लेकिन बैकडेट में दिनांक 26.09.2019 को निर्णय पारित कर दिया गया। जिसकी जानकारी होने पर अपीलान्टान ने धारा 151

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र भी पेश किया लेकिन उक्त प्रा0 पत्र का निस्तारण कर दिया गया। जानकारी होने से अपील समयावधि में पेश है। जो देरी हुई वो नेकनियती व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा म्याद में मुजरा दिये जाने योग्य है। जिस हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 म्याद कानूनन अलग से पेश है। पटवारी हल्का ने भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत अदालत में इस आशय की रिपोर्ट की कि सम्वत 2075 में आराजी खसरा न0 178 रकबा 0.04 है0, 179 रकबा 0.02 है0 किस्त भूमि चारागाह में से 2064 वर्गफुट रकबे पर 8 पक्की दुकान व आवासन बनाकर वाके ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर राज0 दीनदयाल पुत्र मंगलराम, बाबूलाल पुत्र मंगलराम व गोपाल पुत्र मंगलराम जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ द्वारा अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर तहत अदालत द्वारा दिनांक 16.09.2019 को निर्णय पारित किया जाकर अपीलाण्टान के खिलाफ शास्मित आरोपित करते हुए बेदखल किए जाने का आदेश पारित किया गया है कि जिस आदेश से असंतुष्ट व व्यथित होने के कारण यह अपील पेश की जा रही है। जो कि निम्न आधारों पर स्वीकार होने तथा आलोच्य निर्णय अपास्त होने योग्य है। अपीलाण्टान द्वारा कोई नवीन निर्माण नहीं किया गया है अपितू अपीलाण्ट दीनदयाल को तहसीलदार राजगढ द्वारा जर्ये पट्टा दिनांक 21.03.1989 प्रदत्त की गई थी और जब तक विधिवत तहसीलदार राजगढ द्वारा उक्त पट्टा निरस्त नही किया जा सकता तब तक आलोच्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता लेकिन तहत अदालत ने गौर नहीं किया। अपीलाण्ट द्वारा विवादित भूमि की बाबत माननीय सिविल न्यायाधीश राजगढ में दीनदयाल बनाम राजस्थान राज्य में दीवानी वाद पेश किया था। जो दावा दिनांक 08.07.2002 को डिक्री किया गया कि वो बिना विधिक प्रक्रिया के वादीगण को बेदखल न करें तथा उसके कब्जे में किसी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न नही करे उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय के बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना सुनवाई किये साक्ष्य को अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है जो उचित व न्यायसंगत नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया है वो ग्राम ढिगावडा की आराजी की बाबत है। ग्राम बाढ ढिगावडा की बाबत नहीं है जिस बाबत तहसीलदार राजगढ को बखूबी जानकारी है। तहसीलदार राजगढ ने इस संबंध में मार्गदर्शन हेतु जिला कलैक्टर महोदय अलवर को दिनांक 09.01.2020 को पत्र लिखा है। अपीलाण्ट का पुराना कब्जा है। पट्टे के अधीन अपीलाण्ट्स काबिज है। इस वजह से अपीलाण्ट्स का कब्जा अतिक्रमी की हैसियत नही है। पटटा निरस्त किये जाने बाबत कोई कार्यवाही किसी भी न्यायालय में लम्बित नही है। तहसीलदार द्वारा डिक्री की पालना नही करने की सूरत में अपीलाण्ट्स को पुनः वाद सिविल न्यायालय में करना पडा है। जिसमें दिनांक 17.05.2017 को तहसीलदार राजगढ के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी है। मौके की कोई पैमाईश भी नही की गई तथा अपीलाण्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया। आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार ने पटवारी हल्का के कोई बयान लेखबद्ध नही किए। जिससे भी आलोच्य निर्णय तहसीलदार अनुचित व अवैध है। आलोच्य आदेश तहसीलदार द्वारा अपीलाण्टान की गैरमौजूदगी व गैरजानकारी में पारित किया गया है। तहसीलदार साहब ने आलोच्य निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाण्टान उचित सुनवाई तथा साक्ष्य आदि पेश करने का अवसर नही दिया। जिससे अपीलाण्टान के अधिकारों का हनन हुआ है। इसलिए आलोच्य आदेश अपास्त होने योग्य है। अपीलाण्टान का निर्माण अतिक्रमण की जद में नही आता है तथा आलोच्य निर्णय की पालना में अपीलाण्टान का निर्माण हटवा कर अपीलाण्टान को बेदखल कर दिया गया तो अपीलाण्टान को नापूर्ति होने वाली होगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

अतः उजात अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्टान स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 26.09.2019 तहसीलदार राजगढ जिला अलवर राज0 वसिलसिले प्रकरण संख्या 06/2019 अंतर्गत धारा 91(3) भू राजस्व अधिनियम अपास्त फरमाया जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात एवं बहस वकील अपीलान्ट पर अवलोकन एवं चिन्तन–मनन किया। अपीलाधीन विवादित आराजी की किस्म चारागाह है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। जिस पर खातेदारी अधिकार भी प्रोद्भूत नहीं होते हैं। स्पष्ट है कि अतिक्रमियों द्वारा सरकारी भूमि पर किया गया अतिक्रमण अवैध है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.09.2019 उचित है जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)